



INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार की भूमिका

बिनोद कुमार

रिसर्च स्कॉलर

इतिहास विभाग

जयप्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा

26 जनवरी, 1940 को स्वाधीनता दिवस मनाने के क्रम में बिहार में वृहत स्तर पर काँग्रेसी गिरफ्तार किये गये । 19 और 20 मार्च को रामगढ़ में मौलाना आजाद की अध्यक्षता में अखिल भारतीय काँग्रेस का अधिवेशन हुआ जिसमें उन्होंने कहा, "भारत को बिना उसकी इच्छा के ही लड़ाई में शामिल कर लिया गया है । हम ब्रितानी साम्राज्यवाद को विजयी बनाकर अपनी गुलामी की अवधि बढ़ाना नहीं चाहते । सन् 1937 में हमने सहयोग के लिए जो अस्थायी हाथ बढ़ाया था, उसे युद्ध की घोषणा होते ही खींच लिया । अब हमें असहयोग की दिशा में कदम बढ़ाना है ।

इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य बतलाया गया तथा वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित संविधान 8 सभा द्वारा देश के लिए संविधान निर्माण पर बल दिया गया । काँग्रेस गाँधीजी की उस घोषणा की ओर विशेष ध्यान देगी जिसमें यह कहा गया है कि काँग्रेसीजन अनुशासनपूर्ण हैं एवं स्वतंत्रता प्रतीक्षा पत्र में विहित रचनात्मक कार्यक्रम चला रहे हैं , इसका विश्वास होने पर ही वे सविनय अवज्ञा प्रारंभ करने का दायित्व ग्रहण कर सकेंगे । अधिवेशन के अवसर पर चर्खा संघ के द्य सचिव श्री लक्ष्मी नारायण ने एक प्रदर्शनी का आयोजन किया था जिसका उद्घाटन गाँधीजी ने 14 मार्च , 1940 को किया था ।

इस अवसर पर उन्होंने कहा था कि आप ग्रामीण जनता को यह दिखा सकते हैं कि उनके पास जो कला है , उस पर हवाई बमबाजी का कोई असर नहीं होगा । अभी ग्रामवासी अपनी उन निधियों से अनभिज्ञ हैं , उनमें उन निधियों की चेतना जगानी है । उनके समक्ष से अज्ञानता और अन्धकार को दूर करना है । इन प्रदर्शनियों का यही उद्देश्य है । देश की जनता से यह आग्रह किया गया कि वह गाँधीजी के नेतृत्व में भावी संघर्ष के लिए तैयार रहे । किन्तु फारवर्डब्लॉक के लोग गाँधीजी की नीति के विरुद्ध थे तथा सुभाषचन्द्रबोस के नेतृत्व में अलग से सम्मेलन कर ब्रितानी साम्राज्यवाद के विरुद्ध प्रत्यक्ष कार्रवाई का उन लोगों ने निर्णय लिया । इस सभा में स्वामी सहजानन्द सरस्वती तथा शीलभद्रयाजी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभायी । 7 जुलाई , 1940 को काँग्रेस कार्यकारिणी ने युद्ध की भयंकरता के कारण ब्रिटेन को सशर्त सहयोग देने का निश्चय किया ।

5 जनवरी , 1941 को सत्याग्रह के दूसरे चरण का प्रारंभ हुआ । स्थानीय काँग्रेस समितियों द्वारा तैयार किये गये सत्याग्रहियों की सूची को महात्मा गाँधी के पास भेजा गया । उनके द्वारा अंतिम रूप से चुने हुए लोगों को उनके निर्देशानुसार कार्य सौंपे गये । उन्होंने कहा कि कोई भी पुरुष अथवा महिला सत्याग्रही जब तक गिरफ्तार नहीं कर लिया जाता है तबतक वह घर नहीं लौटेगा तथा गाँव – गाँव जाकर युद्ध विरोधी नारे लगायेगा , युद्ध – विरोधी सभाओं को

सम्बोधितकरेंगा तथा रचनात्मक प्रचार कार्य में संलग्न रहेंगा । बिहार में कई महिलाओं एवं पुरुषों ने सत्याग्रह किया तथा अनेक को सरकार ने गिरफ्तार भी कर लिया । जनवरी , 1941 के उत्तरार्द्ध में गया जिले की श्रीमती प्रियंबदा देवी तथा श्रीमती जगतरानी देवी को सत्याग्रह करने के जुर्म में चार – चार महीने की कैद की सजा हुई ।

सारण जिले के भागवत बड़ई की पत्नी मोस्मात नगीना देवी को एक जनसभा में युद्ध विरोधी नारे लगाने के अपराध में एक महीने के साधारण कैद की सजा दी गयी । संधाल परगना जिले की श्रीमती भुवनेश्वरी देवी को जनवरी , 1941 में लोगों के बीच युद्ध विरोधी पर्चा बाटने तथा लोगों को ब्रिटिश सरकार को युद्ध के लिए किसी भी प्रकार की मदद न देने को कहने के अपराध में छः 14 महीने के सश्रम कारावास तथा एक सौ रुपया जुर्माने की सजा दी गयी । फरवरी 1941 के पूर्वार्द्ध में पटना जिले की श्रीमती सावित्री देवी तथा मुजफ्फरपुर जिले की श्रीमती भवानी देवी को युद्ध विरोधी नारे लगाने के अपराध में अदालत के उठने तक के लिए कैद की सजा दी गयी । सत्याग्रह के जुर्म में गया जिले की श्रीमती जानकी देवी को भी चार महीने के साधारण कारावास की सजा हुई ।

संधाल परगना जिला में फरवरी के मध्य तक निम्नलिखित व्यक्तियों को विभिन्न अवधि के लिए कारावास की सजा दी गई ; गोड्डाअनुमंडलउल्फत हुसैन और मैसापहाड़िया , देवघर अनुमंडल – भगवान दत्त , राजहंस ,अयोध्या प्रसाद मिश्र , बिगू राय , श्रीकृष्ण प्रसाद , हरि प्रसाद जायसवाल , जानकी प्रसाद सिंह , नरसिंह प्रसाद राय और चण्डी प्रसाद राय । दूसरी मार्च 1941 तक दस और व्यक्ति राजनैतिक आरोपों पर गिरफ्तार करके कारा भेज दिए गए । देवघर अनुमंडल में काशी प्रसाद सिंह , लालजीमल्लिक , यादव चन्द्र मिश्र और गिरजानन्द सिंह । पाकुरअनुमंडल में कृपानाथपाण्डेय और गण्डी लाल पहाड़िया । गोडा – अनुमंडल में भीम किस्कू , रुपनाथ महतो , नीलकंठ ठाकुर और देवचन्द नुनिया । " 16 स्वतंत्रता दिवस (26 जनवरी 1941) को किसी ने सत्याग्रह नहीं किया । विभिन्न स्थानों पर स्वतंत्रता दिवस मनाया गया । इस संदर्भ में गाँधी के विचार इस प्रकार थे : " व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया जा चुका है और देश भर में बड़ी संख्या में काँग्रेस जन जेलों में बन्द हैं अतः प्रत्येक भारतीय का यह विशेष कर्तव्य हो जाता है कि वह रचनात्मक कार्यक्रम में दूने उत्साह के साथ लग पड़े । बिना उसे पुरा किए हुए कोई भी सामूहिक या व्यक्तिगत सत्याग्रह हमें स्वतंत्रता हासिल करने और उसे सुरक्षित रखने में सहायता नहीं देगा । " राष्ट्रीय सप्ताह में आत्म शुद्धि के लिए 6 और 13 अप्रैल को उपवास , सदस्य संख्या में वृद्धि करने , स्वदेशी और खादी का प्रचार , एकता तथा छुआछूत निवारण आदि रचनात्मक कार्यक्रम पर विशेष ध्यान दिया । '

बिहार में इन दिनों रचनात्मक कार्यक्रम पर विशेष ध्यान दिया जा रहा था । अखिल भारतीय चर्खा संघ के तत्वावधान में 24 अप्रैल 1941 को पटना के साहित्य सम्मेलन भवन में एक सभा हुई । राजेन्द्र बाबू ने इस सभा की अध्यक्षता की और खादी प्रचार पर बल दिया । हरिजन सेवा का काम भी चल रहा था । शाहाबाद जिला पिछड़ा वर्ग सम्मेलन का पांचवा अधिवेशन 8 नवम्बर 1941 को आरा में पृथ्वी सिंह आजाद की अध्यक्षता में हुआ । सम्मेलन का उद्घाटन श्री अनुग्रह नारायण सिंह ने किया । वर्ष के अन्त में अखिल भारतीय हरिजन संघ के सचिव , श्री ए ० वी ० ठक्कर ने बिहार के कुछ जिलों की यात्रा की । श्री ठक्कर को आदिवासियों के मध्य सेवा कार्य में लगे 17 संगठनों के काम को समायोजन करना था । व्यक्तिगत सत्याग्रह का तीसरा चरण 15 अप्रैल 1941 से शुरू हुआ ।

बिहार में सत्याग्रह की प्रगति का पुनरीक्षण करने तथा उसकी गति को तेज करने के हेतु कौन से काम किए जाएँ , इस पर विचार करने के लिए बिहार प्रांतीय काँग्रेस की एक बैठक 17 अप्रैल 1941 को हुई । इसमें जिला सत्याग्रह अधिकारी नियुक्त किए गए । बड़ी संख्या में काँग्रेसस्वयंसेवकों ने सत्याग्रही के रूप में अपना नामांकन कराया । आंदोलन गलत रास्ते में नहीं चला जाय इसके लिए काँग्रेस सचिव , श्री जे ० वी ० कृपलानी ने 17 जून को एक वक्तव्य प्रकाशित किया । सत्याग्रहियों को स्थानीय संस्थाओं की तत्कालीन राजनीति से मुक्त रखने के लिए बिहार काँग्रेस ने राजेन्द्र

बाबू के निर्देश पर यह निर्णय किया कि सभी काँग्रेसी जिला अभिषदों एवं नगरपालिकाओं से इस्तीफा दे दें । दुर्भाग्यवश इन संस्थाओं की राजनीति का स्तर बहुत ऊँचा नहीं था ।

प्रांतीय काँग्रेसकमिटी की 12 अगस्त और 2 सितंबर (1941) की बैठकों में इसकी सप्पुष्टि की गई । गया जिलान्तर्गतनवादा में 18 अगस्त को राजनैतिक सम्मेलन हुआ । इसमें आचार्य कृपलानी ने अन्य लोगों के अतिरिक्त भाषण किया । एक इस आशय का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ कि संथाल परगना जिला अभिषद को छोड़कर 30 सितंबर को सभी स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं से काँग्रेसजनत्यागन दे दें । अधिकतर काँग्रेसी सदस्यों ने इस आदेश का अनुपालन किया । अनुपालन नहीं करने वाले 19 सदस्यों को काँग्रेस से निष्कासित कर दिया गया । काँग्रेस ने असम , बंगाल , विशाखापट्टनम पर जापानी वायुसेना के सक्रिय होने के बाद भारत पर युद्ध के बढ़े हुए खतरे को देखकर 14 महीने व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाने के बाद उसे निलंबित कर दिया । तदुपरान्त इस पर विचार किया गया कि यदि इस संकटकाल में काँग्रेसी नेता जेल में बन्द रहेंगे तो जनता को सही मार्गदर्शन नहीं मिलेगा । व्यक्तिगत सत्याग्रह किसी को परेशानी में डालने के लिए नहीं बल्कि ब्रितानी सरकार के साम्राज्यवादी नीति के विरुद्ध नैतिक प्रतिरोध के रूप में शुरू किया गया था । इस दृष्टि से इसे कुछ अंशों में सफल राष्ट्रीय प्रयोग कह सकते हैं । इसमें संदेह नहीं कि यह आंदोलन अनुशासन एवं मर्यादा के साथ चलाया गया था ।

इस समय देश के वामपंथियों में काँग्रेस की अपेक्षा कहीं अधिक अतिवादी विचार फैल रहे थे । इसमें काँग्रेस समाजवादी दल , अग्रगामी दल , किसान सभा और साम्यवादी भी थे । इनकी नीतियाँ एवं तरीके भिन्न थे किन्तु सभी ब्रितानी सरकार तथा साम्राज्यवाद के एक समान कट्टर विरोधी थे । ये अविलम्ब आजादी की माँग करते थे और एक नई समाज व्यवस्था का निर्माण करना चाहते थे जो सामन्ती , पूँजीवादी और साम्राज्यवादी शोषण से सर्वथा मुक्त हो । समाजवादी काँग्रेस के झण्डों के नीचे काम करते थे । दिल्ली में 6-7 जुलाई 1940 को बिहार प्रांतीय समाजवादी सम्मेलन के अध्यक्ष पद से बोलते हुए श्री युसुफ मेहर अली ने कहा था " हमें अधिकाधिक काँग्रेसियों को अपने कार्यक्रम एवं नीति की ओर खींच लाना है । रामगढ़ प्रस्ताव हमारी कार्रवाइयों का निर्देशन करेगा । हम काँग्रेस तथा छ उसके आजादी हासिल करने के लक्ष्य के प्रति आस्था रखते हैं । आजादी की लड़ाई में कोई भी बलिदान करने में हमें पीछे नहीं रहना है । समाजवादियों की यह धारणा थी कि गतिरोध दूर करने तथा राष्ट्रीय स्तर पर सविनय अवज्ञा शुरू करने में देर नहीं करना चाहिए । उनका यह भी विचार था कि जबतक सत्ता भारतीय जनता को नहीं सौंप दी जाती तब तक केन्द्र में राष्ट्रीय सरकार की बातों से कोई लाभ नहीं होने वाला था । बिहार समाजवादी पार्टी की संघर्ष समिति की बैठक पटना में 21 सितंबर 1940 को हुई । इसमें श्रमिक आंदोलनों के विरुद्ध सरकारी दमन नीति , नागरिक स्वतंत्रता का अपहरण तथा कृषि स्थिति की दुर्व्यवस्था और राजनैतिकबन्दियों के साथ दुर्व्यवहार के लिए सरकार की भर्त्सना की गई । जयप्रकाश नारायण के 28 नवंबर 1940 के हजारीबाग जेल से छूटने पर पार्टी को पुनः उनका नेतृत्व प्राप्त हुआ । बिहार काँग्रेससमाजवादी पार्टी ने मई दिवस मनाने के लिए बाँकीपुर मैदान में पहली मई 1941 को एक सभा आयोजित की । इसकी अध्यक्षता श्रमिक नेता शिवनाथबनर्जी ने की एवं मुख्य वक्ता पुरुषोत्तमविक्रम दास थे ।

सभा में फासीवाद , नात्सीवाद और ब्रितानी साम्राज्यवाद की भर्त्सना की गई । मजदूर एवं किसानों की शिकायतों को दूर करने हेतु मालगुजारी माफ करना , मजदूरी , महंगाई भत्ता आदि की वृद्धि और अशक्त एवं बेकार , अस्वस्थ श्रमिकों की सहायता पर बल दिया गया । अग्रगामी दल के सचिव श्री अवध बिहारी राय ने बक्सर की एक सभा में भाषण करते हुए जनता से अपील की कि सरकार को उसके हर प्रयत्न में सहायता नहीं दे । बिहार प्रान्त अग्रगामी दल की कार्यकारिणी की एक बैठक 20 अक्टूबर को पटना में हुई । इसमें अखिल भारतीय अग्रगामी दल के सचिव , श्री मुकुन्द लाल सरकार ने काँग्रेस की विनम्र नीति की आलोचना की और हजारीबाग जेल में ही जयप्रकाश नारायण तथा स्वामी सहजानन्द से मिलने की सरकार द्वारा अनुमति नहीं दिए जाने पर क्षोभ प्रकट किया गया । अग्रगामी दल के सदस्य , श्री

लम्बोदर मुखर्जी इन दिनों पाकुर में संथालियों के मध्य अपना सुधार कार्य के अतिरिक्त अग्रगामी दल की कार्रवाइयाँ चलाने के हेतु पाकुर आये । श्री मुखर्जी की पत्नी श्रीमती उषारानी ने संथाल परगना जिला अग्रगामी दल की सभा में भाग लिया । इसमें सर्वानन्द मिश्र , लाल हेम्ब्रम एवं श्री पागममराण्डी ने जवाहरलालनेहरु और पटेल की गिरफ्तारी के लिए सरकार की निन्दा की । श्रीमती उषारानी को युद्ध विरोधी कार्रवाइयाँ करने के आरोप में 30 नवंबर को गिरफ्तार कर लिया गया और 6 महीने की सजा दी गई । पटना अग्रगामी दल के सचिव श्री रामनंदन भोजपुरी को 4 दिसंबर को युद्ध विरोधी इशतहार बाँटने के विरोध में गिरफ्तार किया गया । 10 अप्रैल 1941 को पटना सिटी के मंगल तालाब पर अग्रगामी दल ने एक सभा आयोजित की । इसकी अध्यक्षता दार्जिलिंग के स्वामी सच्चिदानन्द ने की ।

बिहार प्रांतीय अग्रगामी दल का सम्मेलन छपरा में 30-31 अक्टूबर 1941 को एच ० वी ० कामथ की अध्यक्षता में हुआ । श्रीकामथ उन दिनों भारतीय अग्रगामी दल के संगठन सचिव थे । अपने अध्यक्षीय भाषण में श्री कामथ ने कहा कि भारत में ब्रितानी नीति पूर्णतः बेकार सिद्ध हो चुकी थी । ब्रितानी शासक वर्ग पर अभी भी एक शताब्दी पुराने विचारों का प्रभाव छाया हुआ है । श्रीकामथ ने कहा " वे नहीं जानते कि आज उनके समक्ष पूर्ण जागृत भारत खड़ा था और वह आजादी हासिल करने तथा शान्ति एवं मानवता के मार्ग पर मानव का पथ प्रदर्शन करने के हेतु कृतसंकल्प था । " व्यक्तिगत सत्याग्रह के स्थान पर निकट भविष्य में जन आंदोलन शुरू करने पर उन्होंने बल दिया ।

बिहार में जनसामान्य में स्वतंत्रता के प्रति जागरुकता भरने में किसान आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका थी । यह आंदोलन स्वामी सहजानंद के नेतृत्व एवं निर्देशन में फलता फूलता रहा किन्तु स्वामी सहजानंद के जेल चले जाने से किसान आंदोलन को भारी क्षति हुई । फिर भी पटना , मुजफ्फरपुर , दरभंगा , सारण , चम्पारण , पूर्णियाँ , पलामू और संथालपरगना जिलों में उसका काम बहुत कुछ चल रहा था । 1 सितंबर 1940 को प्रांत में कई स्थानों पर किसान दिवस मनाया गया । इसके लिए सभाएं की गईं और अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष बाबा मोहन सिंह की गिरफ्तारी पर विरोध प्रकट किया गया । स्वामी सहजानंद के जेल जाने के समय यमुना कार्यो की अध्यक्षता में अग्रगामी दल का उस पर नियंत्रण था । डुमराव में 8-9 मार्च 1941 को बिहार किसान सम्मेलन हुआ । इस अवसर पर काँग्रेसीसमाजवादियों ने किसान सभा संगठन पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयत्न किया । किन्तु इसमें उन्हें सफलता नहीं मिली । पर इससे छात्रों का उत्साह कम नहीं हुआ था । वे सरकार की दमनात्मक कार्रवाइयों के विरुद्ध हड़ताल , प्रदर्शन , सभाएँ आदि के माध्यम से जोरदार आन्दोलन शुरू करने को कृतसंकल्प हो गए ।

लहेरियासराय में 18 अगस्त को एक नौजवान संघ का सम्मेलन किया गया । इसमें सरकार के साथ समझौता नहीं करने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । सितंबर के उत्तरार्द्ध में प्रोफेसर हुमायूँ कबीर ने झरिया में मानभूमि जिला छात्र संघ की सभा की अध्यक्षता की । 16 नवंबर को संघ के तत्वाधान में पटना , मुजफ्फरपुर और दरभंगा के कुछ अन्य स्थानों पर दमन विरोधी दिवस मनाया गया । इस दिन सभाएं की गईं और जवाहरलालनेहरु को जेल की सजा देने के विरोध में प्रस्ताव स्वीकृत हुए । इसके अतिरिक्त छात्रों की । स्वतंत्रता पर आघात करने का भी विरोध किया गया । प्रांतीय छात्र संघ के सचिव , श्री चन्द्रशेखर सिंह को भारत रक्षा कानून के अन्तर्गत 4 दिसंबर 1940 को गिरफ्तार किया गया । उसके विरोध में 5 दिसंबर 1940 के पटना के कॉलेजों में हड़ताल रही । तीसरे पहर छात्रों का एक जुलूस निकाला गया और पटना विश्वविद्यालय पुस्तकालय के सामने वाले मैदान में एक सभा हुई । इसमें गिरफ्तारी की निन्दा की गई और गया जिला छात्र संघ का अध्यक्ष , अच्युतानन्द प्रसाद की गिरफ्तारी के विरुद्ध छात्रों ने प्रदर्शन किया । गया छात्र संघ ने 19-20 अप्रैल को सभाएँ आयोजित की । इन सभाओं में साम्यवादियों तथा गैरसाम्यवादियों के विरोध प्रकट हुए । - / 23 मार्च 1941 को बाँकीपुर मैदान में नजरबन्दी दिवस मनाया गया । 12-13 अप्रैल 1941 को शाहाबाद छात्र सम्मेलन संपन्न हुआ ।

बिहार प्रांतीय छात्र सम्मेलन के तत्वाधान में 23 अगस्त 1941 को एक सातिक सम्मेलन हुआ । इसमें डॉक्टर सर्वपल्लीराधाकृष्णन् का उद्घाटन भाषण सुजने के लिए बड़ी संख्या में छात्र उपस्थित हुए थे । डॉक्टर राधाकृष्णन ने छात्रों

के जतिक उन्नयन तथा मानवीय गुणों एवं सहिष्णुता की आवश्यकता बतलाई । उन्होंने कहा कि दुनिया आज इसलिए परेशान नहीं है कि बौद्धिक अथवा नैतिक उपलब्धियों की कमी हो गई है । कमी है तो इस बात कि आज की व्यवस्था में इन उपलब्धियों के अनुनम बनाने की क्षमता का अभाव हो गया है ।

संदर्भ

1. पूर्वोद्धृत, राजेन्द्र प्रसाद, पृ0-565 ।
2. द सर्चलाइट; 11 अगस्त, पृ0-3 ।
3. पूर्वोद्धृत; के0 के0 दत्त, भाग-3, पृ0-33 ।
4. दत्त, के0 के0, बिहार में स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास; भाग-3, पृ0-42-43 ।
5. पूर्वोद्धृत, के0 के0 दत्त, भाग-3, पृ0-43 ।
6. पूर्वोद्धृत, के0 के0 दत्त, खंड-2, पृ0-229 ।
7. तेन्दुलकर, महात्मा; खण्ड-5, पृ0-319-320 ।
8. दत्त, के0 के0; फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार, खण्ड-2, पृ0-381-382 ।
9. भारत सरकार; पॉलिटिकल संचिका संख्या 15/5/41 ।
10. पूर्वोद्धृत, फरवरी, 1941 के उत्तरार्द्ध का पाक्षिक रिपोर्ट ।
11. प्रसाद, राजेन्द्र; आत्मकथा, पृ0-565 ।
12. आजाद, मौलाना; इण्डिया वीन्स द फ्रीडम, पृ0-63 ।
13. द हरिजन, 23 सितम्बर, 1939 ।
14. सीतारमैया, पट्टाभि; क्रॉग्रेस का इतिहास, खण्ड-2 पृ0-124-125 ।
15. नेहरू, जवाहरलाल; द युनिटी ऑफ इण्डिया, पृ0-361 ।
16. ब्रल्सफोर्ड, एच0 एन0; सब्जेक्ट ऑफ इण्डिया, पृ0-54 ।